दायर दि॰

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी

प्रार्थी. राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :– दामोदर पुत्र श्री चोथूमल, सत्यानारायण / पूराराम नि॰ अन्य

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 4 / 19

निर्णय दिनांक :– 21.08.2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थीयों द्वारा सवत् 2076 में सरहद पीपलाद के ख.न. 201 रकबा 0.04 है भूमि किस्म बारानी 2 में बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस स्वंय से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है । अप्रार्थीगण उपस्थित हुऐ । जबाब प्रस्तुत किया। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एवं. भु0अ0निरीक्षक परबतसर से जबाब की जांच कराई जिसकी रिपोर्ट के अनुसार मौजा पीपलाद के ख.न 201 रकबा 0.04 हेक्टेयर भूमि किस्म बारानी 2 में अप्रार्थीगण का अतिक्रमण पाया गया।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 14 रूपये प्रति हेक्ट से अतिक्रमित भूमि 0.04 है के 0.56 रूपये के लगान का 50 गुणा 28/– अक्षरे अठाईस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का पीपलाद को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का पीपलाद को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

2019-20
पंजिका ... पृष्ठ सं ...10...
पत्र सं ...28/–... रु0 की
मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार परबतसर
21.8.19

Scanned by CamScanner